सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन 2022-23

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

2022—2023

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	कारागार विभाग का उद्देश्य	1
2.	बंदी क्षमता एवं संख्या	1-2
3.	सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम	2-10
	3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)	2-3
	3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई	3
	3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण	3-4
	3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई	4
	3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण	4-5
	3.6 कारागृह उद्योग	5
	3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम	6-8
	3.7.1 साक्षरता	6
	3.7.2 उच्च शिक्षा	6-7
	3.7.3 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	7
	3.7.4 तकनीकी शिक्षा	7-8
	3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा	8
	3.9 बंदी कल्याण कोष	8-9
	3.10 बंदी बैण्ड	9
	3.11 अन्य कार्यक्रम	10
4.	चिकित्सा एवं सुविधायें	10-11
5.	मानव संसाधन	11-13
	5.1 प्रशिक्षण	13-14
	5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास	14
	5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	14-15
6.	नवाचार	15-17
	6.1 ई-प्रिजन्स एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	15
	6.2 ई-मुलाकाल	15
	6.3 ई-हिस्ट्री टिकिट	15-16
	6.4 आई.सी.जे.एस.	16
	6.5 वीडियों कॉन्फेसिंग	16
	6.6 जेल विकास बोर्ड का गठन	16
	6.7 Prison Inmate Calling System	16-17
	6.8 बंदियों को पेट्रोल पम्प कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना	17
	6.9 सुरक्षा उपकरण	17
7.	विभाग का स्वीकृत बजट, आय व्यय का विवरण	18-19

कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2022

1. कारागार विभाग का उद्देश्य

न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति समानता का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

2. बंदी क्षमता एवं संख्या

राज्य में केन्द्रीय कारागृह (9), उच्च सुरक्षा कारागार (1), विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (1), जिला कारागृह "ए" श्रेणी (2), जिला कारागृह "बी" श्रेणी (24), उप कारागृह (60), खुला बंदी शिविर (41), महिला बंदी सुधारगृह (7), किशोर बंदी सुधारगृह (1), कुल 146 कारागृह हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 22963 है।

केन्द्रीय कारागृहों में लघु सजा से आजीवन कारावास की सजा के दण्ड़ित बंदियों (Convicts) को रखा जाता है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में फांसी की सजा से दण्डित बंदियों को रखा जाता है। जिला कारागृह "ए" श्रेणी में 10 वर्ष तथा अन्य जिला कारागृहों में 3 साल तक की सजा से दण्ड़ित बंदियों को रखा जाता है। उप कारागृहों में 3 माह तक की सजा से दण्डित बंदियों को रखा जाता है। समस्त कारागृहों में विचाराधीन बंदियों (Under Trials) को यथासंभव उनके विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों के न्यायालय के क्षेत्राधिकारानुसार अभिरक्षा में रखा जाता है। उच्च सुरक्षा कारागार में राज्य के हार्ड कोर बंदियों को रखा जाता है। विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा) में सम्पूर्ण राजस्थान के सजायाफ्ता बंदियों को रखा जाता है।

किशोर बंदी सुधारगृह में 18 से 21 साल तक की उम्र के सजायाफ्ता बंदी रखे जाते हैं तथा महिला बंदी सुधारगृहों में केवल महिला बंदियों को रखा जाता है। राज्य के 07 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर एवं अजमेर पर पृथक् से महिला बंदी सुधारगृह स्थापित है। केन्द्रीय कारागृह, अलवर एवं श्रीगंगानगर तथा जिला कारागृहों में वर्तमान में पृथक् महिला वार्ड/बैरक भी उपलब्ध है, जहाँ महिला बंदियों को रखा जाता है।

वर्ष 2022 (31.12.2022 को) में राज्य की समस्त कारागृहों में कुल 24659 बंदी निरूद्ध थे, जिनमें 19233 विचाराधीन बंदी, 5377 दण्ड़ित बंदी, 43 सिविल बंदी तथा 6 डेटेन्यू बंदी थे। गत् 5 वर्षों में राज्य में निरूद्ध बंदियों की संख्या तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार है :-

वर्ष	बंदी क्षमता	विचाराधीन बंदी	दण्ड़ित बंदी	सिविल बंदी	डेटेन्यू बंदी	कुल बंदी
2018	21892	14509	5606	13	06	20134
2019	22921	15378	6187	31	01	21597
2020	22907	16930	5131	2	0	22063
2021	22897	17954	4962	18	4	22938
2022	22963	19233	5377	43	6	24659

3. सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम

3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल) प्रदान की जाती हैं।

विभाग में वर्ष 2020 से 2022 की अवधि में बंदियों को राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 1958 एवं राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 2021 (अधिसूचना दिनांक 29.06.2021 लागू दिनांक 30.06.2021) में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत पैरोल का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

पैरोल स्वीकार कर्ता	रिहा किये गये बंदियों की संख्या		
	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022
जिला पैरोल समिति द्वारा स्वीकृत नियमित पैरोल	968	820	532
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा दिया गया आपात पैरोल	45	17	0
संबंधित अधीक्षक द्वारा दिया गया आपात पैरोल	7	18	11
सबंधित जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया आपात पैरोल	109	114	96
संबंधित न्यायालयों के आदेशों से पैराल पर रिहा	317	272	153

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंषा पर स्थाई पैरोल पर रिहा	163	143	144
योग	1609	1384	936

3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करके इन्हें समाज में पुनर्स्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान कैदी (सजाओं को कम करना) नियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों के समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया गया है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते है। राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डल की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में क्रमशः 03, 00 एवं 12 कुल 15 बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2022 स्वत्रंता दिवस पर 48 बंदियों को विशेष माफी दी जाकर कारागृहों से रिहा किया गया।

3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण

बंदियों में अच्छे एवं स्व-अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व खुले बंदी शिविरों में रखकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वनिर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को राज्य स्तरीय वरिष्ठता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंषा पर खुले शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बन्दी शिविरों में बन्दी स्वयं की रूचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भांति मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खुले शिविरों के बंदियों को उनके द्वारा अर्जित राशि स्वयं के पास रखने, स्वयं के लिए आवास व भोजन व्यवस्था पर व्यय करने एवं बचत को अपने परिवार वालों को भेजने की पूर्ण सुविधा है। बंदियों को खुले शिविरों पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी वहन कर सकें एवं उनका परिवार विघटित होने से बच सके। यह शिविर जेल व समाज के बीच कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे है। इससे न केवल बंदी को जेल

में होने वाले तनाव से छुटकारा मिलता है, बल्कि बंदी पर होने वाले सरकारी खर्चे में भी बचत होती है। यह बंदी को खुला रखने पर उसके आचरण का परीक्षण होता है। यदि बंदी सही आचरण नहीं रखता है तो पुनः जेल भेज दिया जाता है। राजस्थान के खुला बंदी शिविर पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुके है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इस व्यवस्था को अपनाने हेतु निर्देशित किया है। यह अपने आप में कारागार विभाग के लिए गौरव की बात है।

दिनांक 31.12.2022 को 41 खुले बंदी शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 1488 है एवं 1347 बंदी निवासरत है। वर्ष 2022 में 662 बंदियों को राज्य के विभिन्न बंदी खुला शिविरों में भिजवाया गया।

तीन नये बंदी खुला शिविर स्थापित किये जाने के प्रस्ताव है।

3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई :-

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 1958 के संशोधित नियम 1994 के प्रावधानानुसार कारागृहों में निरूद्ध दण्ड़ित बंदी जिनके द्वारा 20, 30 एवं 40 दिवसीय नियमित पैरोल का संतोषजनक रूप से उपभोग कर लिया है, ऐसे बंदियों को नियम-9 के तहत स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020 से 2022 (31.12.2022 तक) एवं राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम,2021के नियम-10 के प्रावधानानुसार (अधिसूचना दिनांक 29.06.2021 लागू दिनांक 30.06.2021) कुल 434 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से स्थाई पैरोल पर रिहा किये बंदियों की संख्या
2020	147
2021	143
2022	144

3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित है। इस समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन, सदस्य व प्रभाराधिकारी, कारागृह सदस्य सचिव होते हैं। इस समिति द्वारा नियमित बैठक कर लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते है। इस समिति द्वारा अधिकतम सजा के आधे भाग के

बराबर विचाराधीन अवधि वाले बंदी के प्रकरण पर जमानत/अंतिम निस्तारण के बारे में विचार किया जाकर निर्णय लिया गया है। गत तीन वर्षो का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	समिति के समक्ष रखे गये प्रकरणों की संख्या	समिति द्वारा जमानत/अंतिम निस्तारित प्रकरणों की संख्या
2020	264	48162	279
2021	319	59572	333
2022	393	54671	108

3.6 कारागृह उद्योग

राज्य की 10 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, कपड़ा बुनाई, सिलाई, डेजर्ट कूलर बनाना, कारपेन्ट्री, लुहारी, फिनाईल, झाडू एवं पौछा, खाद्य मसाले आदि कार्यो में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पॉवर चलित मशीनें केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं अजमेर पर स्थापित है जहॉ बंदियों के वस्त्र वर्दी निर्माण हेतु कपड़े का निर्माण किया जाता है। राज्य की दो केन्द्रीय कारागृहों (जोधपुर, उदयपुर) में डेजर्ट कूलर, लोहे की चारपाई, आलमारी एवं लोहे का फर्नीचर आदि निर्मित करने हेतु उद्योग प्रारंभ कर बंदियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। कारागार उद्योगों में प्रशिक्षित होने के उपरान्त बंदियों द्वारा उत्पादन का कार्य भी किया जाता है।

राज्य की उद्योगशालाओं में जॉब वर्क के आधार पर बंदियों को श्रम उपलब्ध कराये जाने हेतु निजी संस्थान (जयपुर रग्स फाउंडेशन) से एम.ओ.यू. कर गलीचा / कालीन निर्माण कार्य केन्द्रीय कारागृह जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर व वि.के.का. श्यालावास, दौसा में प्रारम्भ किया गया है।

उद्योगों में बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 130/- रूपये एवं कुशल श्रमिक को 150/- रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता था, जिसे आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा संशोधित किया जाकर कुशल बंदी श्रमिक की न्यूनतम पारिश्रमिक राशि 180 रूपये एवं अकुशल बंदी श्रमिक की राशि 156 रूपये निर्धारित की गई है। इस राशि में से 25% प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। वर्ष 2020 से 2022 तक राज्य के कारागृहों की उद्योगशाला में बंदियों द्वारा वर्षवार निम्नानुसार उत्पादन किया गया :-

वर्ष	राज्य की उद्योगशालाओं में उत्पादन
2020	रू. 1.86 करोड़
2021	रू. 1.82 करोड़
2022	रू. 1.45 करोड़

3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम

3.7.1 साक्षरता

निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति एवं राजस्थान शिक्षा प्रसार समिति द्वारा भी साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाते है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) के सहयोग से भी बंदियों को साक्षर करने के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। राज्य की बड़ी कारागृहों में जहां अधिक संख्या में बंदी रहते हैं, बंदी बैरकों को आखरधाम के रूप में अभिहित कर साक्षरता को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वर्ष 2020 से 2022 की अवधि में वर्षवार साक्षर किये गये बंदियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य कारागृहों में साक्षर किये गये बंदियों की संख्या
2020	5073
2021	3017
2022	5335

3.7.2 उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्नति करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020 से 2022 तक विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बंदियों का विवरण निम्न है :-

परीक्षा का नाम	वर्ष 2020-21 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2021-22 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2022-23 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
सैकेण्डरी	57	21	0
सीनियर सैकेण्डरी	0	0	0
स्नातक प्रथम	0	0	27
स्नातक द्वितीय	0	0	0
स्नातक तृतीय	0	0	0
स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध	0	1	9
स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध	0	1	11

अन्य परीक्षा	46	74	5
योग	103	97	52

3.7.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

IGNOU के अधिकांश पाठ्यक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलम्बी हो सकेंगे एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुनर्स्थापित होकर अपना स्थान बना सकेगें। वर्तमान में 13 कारागृहों पर इग्नू सेन्टर संचालित है।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में IGNOU द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य के कारागृहों में निरूद्ध बंदियों ने निम्नानुसार वर्षवार अध्ययन हेतु प्रवेश लिया, जिनका विवरण निम्न है:-

वर्ष	सम्मिलित बंदियों की संख्या
2020-21	811
2021-22	1214
2022-23	1040

3.7.4 तकनीकी शिक्षा

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर पर बंदियों को तकनीकी शिक्षा दिया जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बंदियों को तकनीकी शिक्षा दी जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्रीय कारागृह, कोटा पर स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया जा सका है।

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आई.टी.आई. संचालित की जा रही है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर, कारपेन्टर, कटिंग एवं स्वीईग एवं इलैक्ट्रीशियन पाठ्यक्रमों में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर में कम्प्यूटर प्रोग्राम एवं असिस्टेन्ट ऑपरेटर (कोपा), कारपेन्टर, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर एवं मैशन

बिल्डिंग कन्ट्रक्शन का एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2020 से 2022 तक की अवधि में उक्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

ट्रेड	2019-20	2020-21	2021-22
कारपेन्टर	25	39	65
कटिंग एवं स्वीईंग	0	02	04
फीटर	21	0	0
वायरमैन	19	05	0
डीजल मैकेनिक	13	09	38
कोपा	39	65	30
इलेक्ट्रिशियन	07	52	58
प्लम्बर	02	19	11
मैशन बिल्डिंग	01	-	0
योग	127	191	206

3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं कारागृहों में उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकायें, पुस्तकें आदि बंदियों को उपलब्ध है। कारागृहों में टी.वी., रेडियो, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय-समय पर केन्द्रीय कारागारों में उपलब्ध प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाये जाते हैं। बंदियों को खेलकूद, गीत-संगीत, वाद-विवाद, लेखन चित्रकला आदि की प्रतियोगितायें भी करवाई जाती है। राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृहों में बंदियों के मनोरंजन हेतु केबल कनेक्शन स्थापित कराये गये है।

3.9 बंदी कल्याण कोष

कारागार विभाग में उद्योगशालाओं के संचालन तथा बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष संचालित किया जाता है। बंदियों को नजर का चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद, मनोरंजन के उपकरण क्रय करने,

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक की अवधि में बंदी कल्याण कोष से निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

वर्ष	बंदी कल्याण कोष से व्यय राशि (लाखों में)
2020	133.23
2021	50.80
2022	43.32

3.10 बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर पर बंदी बैण्ड एवं केन्द्रीय कारागृह, कोटा, उदयपुर पर बंदी आर्केस्ट्रा संचालित है। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर एवं अलवर पर भी बैण्ड़ स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस बैण्ड की प्रस्तुति राज्य स्तर पर भी दी जाती है। केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के बैण्ड पर बी.बी.सी. द्वारा डाक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस बैण्ड में मात्र एक प्रहरी की अभिरक्षा में 20 से 22 बंदी बैण्ड के साथ बाहर समारोहों में भाग लेने जाते है।

कारागार विभाग के इस प्रयास को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बैण्ड़ से प्राप्त आमदनी राशि का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता हैं तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि के लिए उपलब्ध रहता है। वर्ष 2020 से 2022 तक की अवधि में जेल बैण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

रू0 लाख

वर्ष	प्राप्त राशि	साजो सामान पर व्यय	बैण्ड़ के बंदियों में वितरित राशि
2020	1.2	0.9	0.7
2021	1.46	0.36	00
2022	1.87	1.54	1.57

3.11 अन्य कार्यक्रम

राज्य के कारागृहों में नियमित योग, विपश्यना, ब्रहमाकुमारीज एवं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। बंदियों को सुधार के प्रति प्रेरित करने के लिये समय-समय पर नैतिक शिक्षा विभिन्न धर्म गुरूओं के माध्यम से दी जाती है। इन कार्यक्रमों से बंदियों का मानसिक तनाव कम होता है तथा अवसाद से छुटकारा मिलता है। सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होने से बंदी अपराधिक प्रवृत्ति से दूर होता है तथा उसमें रचनात्मक कार्यो के प्रति अभिरूचि जागृत होती है।

4. चिकित्सा एवं सुविधायें

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारू देख-रेख की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस हेतु राज्य की समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर पूर्णकालीन चिकित्सा अधिकारियों व पूर्णकालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत है तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन चिकित्साधिकारियों एवं पूर्णकालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत है।

राज्य की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर डिस्पेन्सरियां स्थापित है, जहां पर बंदियों का इलाज किया जाता है तथा उप कारागृहों पर बंदियों के इलाज हेतु मेलनर्स के पद स्वीकृत है। राज्य की कारागृहों में निरूद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत है :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो डाइग्नोसिस)	02	02
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	01	00
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक)	09	06
क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट	01	00
चिकित्साधिकारी	39	33
सहायक रेडियोग्राफर	02	01
मेल नर्स	91	70
नर्स/दाई	04	04
लैब टैक्नीशियन	08	07

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजी लैब भी स्थापित है जिसमें बंदियों की विभिन्न बिमारियों की जांच हेतु मशीनों एवं उपकरणों यथा अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, (सोनोग्राफी) एक्स-रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की व्यवस्था है। लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डायग्नोसिस), 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 8 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत हैं। समस्त 9 केन्द्रीय, 1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर, 2 जिला कारागृह ''ए'' श्रेणी, 1 जिला कारागृह ''बी'' श्रेणी एवं महिला बन्दी सुधारगृह, जयपुर पर एम्बुलेन्स की सुविधा भी सुलभ है। राज्य की 26 जिला कारागृहों में निरूद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था के दृष्टिगत 26 नग एम्बुलेंस वर्ष 2021 में क्रय किए गए है।

राज्य के कारागृहों में निरूद्ध समस्त बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा (Scale) अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दंडित बंदियों को बिस्तर, कम्बल, वस्त्रादि भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकता होने पर विचाराधीन बंदियों को भी बिस्तर, कम्बल दिये जाते हैं।

राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर पर 01 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक) का पद सृजित है तथा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर 01 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन) एवं 01 क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट के भी पद सृजित हैं। राज्य की समस्त केन्द्रीय कारागृहों पर ई.सी.जी., एक्स-रे एवं केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सोनोग्राफी मशीनें भी उपलब्ध है।

गत तीन वर्षो में बंदियों को भोजन, वस्त्रादि एवं चिकित्सा सुविधा पर प्रति बंदी औसत वार्षिक व्यय निम्न है :-

2020-21	रूपये 10644.20
2021-22	रूपये 12597.34
2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक)	रूपये 13789.93

5. मानव संसाधन

(i) भर्ती/नियुक्ति एवं प्रशिक्षण :- कारागार विभाग में उपाधीक्षक, उप कारापाल एवं प्रहरी के पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है। विगत तीन वर्षो में निम्नांकित पदों पर भर्ती की गई है। इनमें मृतक आश्रित की 24 अनुकम्पात्मक नियुक्तियां भी सम्मिलित है:-

वर्ष	उपाधीक्षक	उप कारापाल	प्रहरी	कनिष्ठ सहायक	चतुर्थ श्रेणी सेवा
2020	0	01	0	30	02
2021	2	01	10	11	06
2022	00	00	11	02	02

उपाधीक्षक एवं उप कारापाल पद पर नियुक्ति उपरान्त 09 माह का संस्थागत एवं 09 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रहरी पद पर नियुक्ति उपरान्त 06 माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) राज्य के विभिन्न कारागृहों में स्वीकृत सुरक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी पदवार उपलब्धता (31.12.2022 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

पदनाम	2020		2021		2022	
	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध
अधीक्षक ग्रेड-I	11	8	11	10	11	09
अधीक्षक ग्रेड-II	18	3	18	4	18	08
उपाधीक्षक	36	10	36	6	36	13
कारापाल	76	46	76	48	76	67
उप कारापाल	188	116	188	136	188	111
मुख्य प्रहरी	613	480	613	529	613	492
प्रहरी	2907	2347	2907	2193	2907	2155
योग	3849	3010	3849	2926	3849	2855

भारत सरकार के आदर्श जेल मेन्यूअल के अनुसार हर छः बंदियों पर एक सुरक्षाकर्मी की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य में प्रत्येक सुरक्षाकर्मी पर औसतन वर्ष 2020 में 07, 2021 में 08 एवं 2022 में 08 बंदियों का उत्तरदायित्व रहा है। कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने एवं अवैध सामग्री की रोकथाम हेतु आर.ए.सी. की सम्पूर्ण बटालियन (13वीं वाहिनी, आरएसी) के 799 जवानों को अलग-अलग 44 कारागृहों पर लगाया गया है।

गत तीन वर्षो में कारागृहों में रिक्त चल रहे विभिन्न संवर्गो के पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियाँ भी प्रदान की गई है :-

पदनाम	2020	2021	2022
महानिरीक्षक	00	00	00
उप महानिरीक्षक	03	00	00
अधीक्षक ग्रेड-I	01	03	00
अधीक्षक ग्रेड-II	03	04	02

उपाधीक्षक	02	00	14
कारापाल	14	07	40
उप कारापाल	00	34	24
मुख्य प्रहरी	02	111	02
प्रशासनिक अधिकारी	00	01	01
अति. प्रशासनिक अधिकारी	00	05	02
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01	08	02
वरिष्ठ सहायक	01	11	02
कनिष्ठ सहायक	04	04	02
सहायक उद्योगशाला पर्यवेक्षक	00	01	01
व्यावसायिक अध्यापक	01	01	01
योग	32	190	93

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की प्रहरी से मुख्य प्रहरी पद की पदोन्नति वित्त विभाग द्वारा प्रहरी एवं मुख्य प्रहरी पद के मध्य वरिष्ठ प्रहरी का नवीन पदनाम सम्मिलित किया गया है, परन्तु राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में पदनाम सम्मिलित नहीं होने से पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई है।

5.1 प्रशिक्षण

कारागार विभाग का मूल प्रशिक्षण संस्थान कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में है, जहाँ समस्त नवनियुक्त एवं पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में तेहरवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से सुविधाओं में विस्तार के उपरान्त जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान में 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता हो गई है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण संस्थानों यथा सी.आई.एस.एफ./बी.एस.एफ. प्रशिक्षण संस्थानों पर भी जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाता है।

वर्ष 2020 से 2022 तक की अवधि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर दिये गये प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	मुख्य प्रहरी	प्रहरी
2020	-	42	4	8	14
2021	-	10	36	113	13
2022	05	46	54	200	508

उक्त के अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य संस्थानों एवं मुख्यालय कारागार, जयपुर पर भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत कर्मियों के कल्याणार्थ, कार्मिक कल्याण न्यास उपलब्ध है जो कि पूर्णत: कर्मचारियों के अंशदान से संचालित किया जाता है। वर्ष 2020 से 2022 तक की अवधि में न्यास से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता, कर्मचारी को गम्भीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता एवं सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृति पर लौटाई गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	मृतक कर्मचारियों की संख्या	मृतक आश्रितों को सहायता	सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	सेवानिवृति पर लौटाई गई
2020	03	रू. 0.35 लाख	17	रू. 0.12 लाख
2021	7 (4 आश्रितों सहित)	रू. 0.59 लाख	26	रू. 0.20 लाख
2022	01	रू. 0.12 लाख	25	रू. 0.20 लाख

5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि

कारागार विभाग में सेवाकाल की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक अयोग्यता/असमर्थता की स्थिति में, जिससे कि वह सेवा करने में असमर्थ हो जावे, स्वयं सदस्य को अथवा उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं कल्याण संबंधी कार्यो हेतु कोष-निधि संचालित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली वार्षिक अंशदान राशि सम्मिलित है। वर्ष 2020 से 2022 तक की अवधि में हितकारी निधि से विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति

तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय राशि	विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक आश्रित सदस्यों की सहायता पर व्यय राशि
2020	रू. 1.73 लाख	रू. 11.23 लाख
2021	रू. 2.40 लाख	रू. 6.75 लाख
2022	रू. 8.50 लाख	रू. 3.58 लाख

6. नवाचार

6.1 e-prisons and VC:-

राजस्थान पूरे देश में जेलों की संख्या के मामलें में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की समस्त कारागृहों का ई-प्रिजन्स पर 100 प्रतिशत डाटा ऑनलाईन है।

- राज्य की सभी जेलों में निरूद्ध बंदियों का 2005 के पश्चात सभी रिकार्ड ऑनलाईन है।
- Prisons Management System में दिनांक 31.12.2022 तक 17.11 लाख प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।
- Visitor Management System में दिनांक 31.12.2022 तक 10.27 लाख प्रविष्टियाँ की जा चुकी है।

6.2 ई मुलाकात :-

- ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोरोना महामारी को देखते हुये ई-मुलाकात (Video Calling) का प्रारम्भ दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया गया, जो वर्तमान में भी संचालित है। दिनांक 31.12.2022 तक ई मुलाकात से 230510 प्रविष्टियां की जा चुकी हैं।
- राज्य की समस्त कारागृहों में निरूद्ध बंदीयों से परिजन/मुलाकाती घर बैठे ई-मुलाकात आवेदन कर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मुलाकात कर सकता है।
- राज्य की सभी कारागृहों पर ई-मुलाकात संचालित है।

6.3 ई- हिस्ट्री टिकिट:-

हिस्ट्री टिकिट एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है जिसमें बन्दी के जेल में दाखिल होने से रिहा होने तक बिताए गए समय से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं और विशेष रूप से बन्दी से संबंधित आदेश को निष्ठापूर्वक जेल प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक बन्दी

(दण्डित/विचाराधीन) को एक हिस्ट्री टिकिट उपलब्ध कराये जाने के क्रम में केन्द्री कारागृह, जयपुर में बन्दियों के लिए दिनांक 31.01.2016 को ई-हिस्ट्री टिकिट CHR के सहयोग से लॉंच किया जा चुका है। ई-हिस्ट्री टिकिट के माध्यम से बन्दी अपन सजा संबंधी विवरण, रेमीशन, जेल दण्ड, आगामी पेशी, सजा, एवं चिकित्सा संबंध विवरण व संभावित रिहाई इत्यादि कम्प्यूटर पर देख सकेंगे। वर्तमान में ई-हिस्ट्र टिकिट Kiosk के माध्यम से राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृहों व महिला बंद सुधारगृह जयपुर/जोधपुर पर संचालित है।

ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के द्वारा राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, महिला बंदी सुधारगृह एवं उच्च सुरक्षा कारागृह तथा किशोर बंदी सुधारगृह पर ई-प्रिजन प्रोजक्ट को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु हार्डवेयर/लोकल एरिया कनेक्टीविटी (LAN)/इन्टरनेट कनेक्टीविटी की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिनांक 13.12.2022 को बंदियों के संबंध में सूचना हेतु ई-प्रिजन्स व सीआईएस एकीकरण डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है।

6.4 आई.सी.जे.एस.:-

वर्ष 2022 में Inter-operable Criminal Justice System में कारागार विभाग को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली में दिनांक 15.12.2022 को ICJS अवार्ड प्रदान किया गया है, इसमें राजस्थान को द्वित्तीय स्थान दिया गया।

6.5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

राजकॉम द्वारा राज्य की 95 कारागृहों पर कनेक्टीविटी उपलब्ध करवाई गई है, जिनमें से 94 कारागृहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की न्यायालय में पेशी भुगताने की सुविधा प्रारंभ की गई है। पूरे भारत वर्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा में राजस्थान तृतीय स्थान पर है

6.6 जेल विकास बोर्ड का गठन :-

जेल सुधार (Prison Reforms) के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जेल विकास बोर्ड का दिनांक 18.09.2019 को गठन किया गया है। जेल विकास बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य की जेलों में संचालित उद्योगशालाओं के आधारभूत ढ़ाचे के आधुनिकीकरण एवं बंदियों के पुर्नवास, कल्याण के प्रबंधन से संबंधित कार्यो को गतिशीलता प्रदान करना।

6.7 Prison Inmate Calling System :-

बंदियो को दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने बाबत राज्य की 09 केन्द्रीय कारागृहों, 01 विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा), 1 उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर, 26 जिला कारागृहों, 7 महिला बंदी सुधारगृहों तथा 03 उप कारागृह, कोटपुतली, सांभरलेक

एवं किशनगढबांस पर Prison Inmate Calling System सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बंदी अपने परिवार/रिश्तेदार/मित्र आदि के चार रजिस्टर्ड कराये गये फोन नम्बरों पर बात कर सकता है।

इन नम्बरों की प्रमाणिकता की जांच एस.ओ.जी./ए.टी.एस. द्वारा की जाती है। वार्ता रिकार्ड भी होती है। बंदियों के परिजनों को बंदी के हाल-चाल जानने हेतु तथा कोई भी सूचना के आदान-प्रदान हेतु बहुत दूर से आना पड़ता था। इससे गरीब परिजनों के समय तथा धन का अपव्यय होता था। इस प्रणाली ने बंदियों को अपने अधिवक्ता व परिजनों से वार्ता कराने का वैद्यानिक तरीका प्रदान किया है।

इस समय बंदियों द्वारा इस प्रणाली का 2.30 लाख मिनट प्रति सप्ताह उपयोग किया जा रहा है। अब तक 2.89 करोड़ मिनट वार्ता हो चुकी है। इससे जेलों में वार्ता हेतु वैध तरीका उपलब्ध कराये जाने से अवैध रूप से चलने वाले मोबाईलों को रोकने में सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई है।

वर्तमान में 57 उप कारागृहों पर Prison Inmate Calling System सुविधा स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.8 बंदियों को पेट्रोल पम्प कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना:-

राज्य की पांच चिन्हित कारागृहों (केन्द्रीय कारागृह, कोटा/ जयपुर/अलवर/ भरतपुर/अजमेर) एवं 01 कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर बंदियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु रिटेल आउटलेट के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर पेट्रोल पम्प स्थापित किया जाकर दिनांक 05.10.2020 को प्रारम्भ किया जा चुका है। केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर, अलवर पर पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने हेतु आई.ओ.सी.एल. से एम.ओ.यू. किया गया है। केन्द्रीय कारागृह, कोटा पर पेट्रोल पम्प की स्थापना की जाकर संचालन प्रारम्भ हो चुका है। केन्द्रीय कारागृह, अजमेर एवं कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर पैट्रोल पम्प स्थापित किए जाने हेतु आई.ओ.सी.एल. से एम.ओ.यू. की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

6.9 सुरक्षा उपकरण:-

जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ किये जाने हेतु 21 इलेक्ट्रिक सायरन, 28 एक्स-रे बैगेज स्केनर, 128 हैण्ड हेल्ड मेट डिटेक्टर, 440 हाई डेनसिटी सर्च लाईट, 11 सेलफोन डिटेक्टर/डिटेक्शन सैट, 11 नाईट विजन डिवाईस, 400 वॉक-टॉकी, 50 बॉडीवार्न कैमरा व हथियार कय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7. विभाग का स्वीकृत बजट आय, व्यय का विवरण

(i) कारागार विभाग, का वर्ष 2022-23 का स्वीकृत बजट एवं 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल वास्तविक व्यय -

(राशि रू. लाख में)

2056 जेल	उपशीर्ष	स्वीकृत बजट BE	व्यय (31 दिसम्बर 2022 तक)
001-	निर्देशन एवं प्रशासन		
	राज्य निधि	*1371.22	999.11
	राज्य निधि (आयोजना)		
	के.प्र.यो.		
	प्रभृत		
101-	जेल		
(01)	मुख्य जेले		
	राज्य निधि	*21938.24	18376.46
	राज्य निधि (आयोजना)	*531.10	421.58
	के.प्र.योजना	70.61	32.90
	सहायतार्थ अनुदान-12	95.00	7.67
	प्रभृत		
102	जेल उत्पाद		
(01)	मुख्य जेले (राज्य निधि)	110.47	57.88
800-	अन्य व्यय		
(01)	जेल प्रशिक्षण विद्यालय (राज्य निधि)	122.22	91.16
(02)	किशोर बंदी सुधार गृह (राज्य निधि)	44.14	14.43
(03)	महिला बंदी सुधारगृह (राज्य निधि)	*518.58	*529.69
	नवीन सेवा		
	राज्य निधि		

4059	वृहद निर्माण कार्य राज्य निधि (आयोजना)	*3569.43	78.34
	के.प्र.यो.		
	प्रभृत		
	योग	28371.01	20609.22

	2059 लोक निर्माण कार्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	700.00	509.46

* कारागार विभाग द्वारा निम्नांकित बजट शीर्षो में अतिरिक्त प्रावधान करवाया गया:-

1. निर्देशन एवं प्रशासन में 114.32 लाख
2. मुख्य जेल में 100.00 लाख
3. महिला बंदी सुधारगृह में 35.00 लाख
4. बजट घोषणा (आयोजना) 2080.35 लाख

(ii) कारागार विभाग का गत 3 वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण (राज्य निधि एवं के.प्र.यो.)

(राशि रू. लाख में)

वर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय	आय अनुमान	वास्तविक आय
2020-21	20209.63	19360.66	24.53	61.96
2021-22	22723.16	17262.29	54.01	55.45
2022-23 (31.12.2022 तक)	24104.81	20068.73	54.20	28.58